बिहार विधान परिषद्

189वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 1

सोमवार, तिथि 01 श्रावण, 1940 (श.)
23 जुलाई, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 15

1.	भवन निर्माण विभाग	-	-	01
2.	पथ निर्माण विभाग	-	-	03
3.	ग्रामीण कार्य विभाग	-	-	06
4.	कृषि विभाग	-	-	02
5.	ग्रामीण विकास विभाग	-	-	02
6.	पंचायती राज विभाग	-	-	01
			कुल योग –	15

सिविल इंजीनियरों की नियुक्ति

1. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि विभाग और भवन निर्माण निगम की कई मेगा परियोजनाएं राज्य के जिलों में चल रही हैं, लेकिन सिविल अभियन्ताओं की कमी के कारण पटना, नालन्दा, नवादा समेत अन्य जिलों में चल रही योजनाओं के काम की गति धीमी है;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग में सहायक अभियंताओं के 297 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 184 रिक्त पदों के विरुद्ध काफी समय पूर्व ही बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है, किन्तु अभी तक बहाली की प्रक्रिया अधर में पड़ी हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभाग के विभिन्न मेगा परियोजनाओं के चल रहे कार्य को समय सीमा के अन्दर सम्पादित कराने हेतु तत्काल अभियंताओं के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर सिविल इंजीनियरों की बहाली करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पुल निर्माण

2. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी से मोतिहारी जानेवाली सड़क पर खोड़ीपाकर घाट पर पुल नहीं रहने के कारण आवागमन अवरुद्ध है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त घाट पर पुल नहीं रहने के कारण सीतामढ़ी से मोतिहारी की दूरी 150 किलोमीटर है, यदि पुल का निर्माण हो जाता है तो यह दूरी घटकर 60 किलोमीटर रह जाएगी;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त घाट पर पुल नहीं रहने के कारण आमजनों को काफी असुविधा हो रही है एवं लोगों में आक्रोश है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खोड़ीपाकर घाट पर पुल बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

पक्का नाला निर्माण

3. **श्री सोने लाल मेहता** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के सम्पतचक प्रखंडान्तर्गत नयाचक गांव स्थित शिव कुमार साव के घर से उत्तर की ओर शिवनगर तक नाला रहित उबड़-खाबड़ जी.सी.सी. तेतर पथ का निर्माण किया गया है जिस पर घर से निकला गंदा पानी और वर्षा का पानी जमा रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तेतर पथ पर जमे गंदे पानी में प्रवेश कर स्थानीय लोग आवागमन कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि नाला रहित सड़क निर्माण में वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद तथा संबंधित विभागीय कनीय पदाधिकारी से लेकर उच्चस्थ सक्षम पदाधिकारीगण का योगदान रहता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' पर अंकित सड़क के किनारे-किनारे पक्का नाला निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क एवं पुल का जीर्णोद्धार

4. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार शरीफ-रजौली एन.एच.-30 में भदौनी मोड़ से भाया भट्टा बागी-नारदीगंज सड़क जाती है जिसकी दूरी मात्र 11 किमी. है, जो काफी जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क में दो छोटा पुल भी है जो पूरी तरह जर्जर है जिससे आवागमन प्रभावित होता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण कराने से कई ग्रामीण जनता के साथ ही साथ नारदीगंज मुख्य सड़क से नवादा जाने की दूरी काफी कम हो जाती है जिससे आम जनता को फायदा मिलता है तथा दो एन.एच.-30 एवं एन.एच.-82 को जोड़ती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एन.एच.-30 में भदौनी मोड़ से भाया भट्टा बागी मोड़-नारदीगंज सड़क एवं पुल का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

किसानों को मुआवजा

5. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले में दिनांक 31.03.2018 को आंधी व ओलावृष्टि से गोढ़वा एवं पतौरा पंचायत, मोतिहारी प्रखंड तथा पिपरा कोठी प्रखंड के सूर्यपुर एवं अखरा के 43 एकड़ में लगे केले की खेती के नुकसान के साथ-साथ 1000 एकड़ से ज्यादा आम एवं लीची को भी नुकसान हुआ है, जिसने किसानों की कमर तोड़ दी है तथा वे बर्बाद हो गये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आंधी एवं ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों की क्षति रिपोर्ट सभी बीएओ से तैयार करवाया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अविलम्ब उक्त किसानों के आंधी एवं ओलावृष्टि से बर्बाद हुए केले, आम एवं लीची का मुआवजा देकर इनको बर्बादी से बचाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्ति

6. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर में बने फ्लाईओवर के नीचे तथा उसके आसपास का इलाका अतिक्रमित है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना का बेली रोड, चितकोहरा, यारपुर, जी.पी.ओ. से स्टेशन, करबिगहिया, राजेन्द्रनगर एवं बहादुरपुर फ्लाईओवर के नीचे तथा उसके आसपास के अधिकांश क्षेत्र में अतिक्रमण है और कई के द्वारा पक्का निर्माण तक कर लिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना शहर में बने फलाईओवर के नीचे एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पथ की मरम्मती

7. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिले के नवगछिया जीरो माइल स्थित राष्ट्रीय उच्च पथ 31 से बाबा विशु रावत पुल होकर कोशी क्षेत्र जाने के क्रम में भटगामा चौसा पुरैनी उदाकिसुनगंज सड़क अत्यंत ही जर्जर है जिससे सभी तरह के यात्री वाहनों के आवागमन में यात्रियों को भारी कष्ट झेलना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर वर्णित पथ की मरम्मती / निर्माण कार्य कबतक कराना चाहती है?

सड़क निर्माण कबतक

8. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी अनुमंडल की करहरा पंचायत के लोग आजादी के 70 सालों के आद भी सड़कविहीन व्यवस्था में आवागमन के लिए मजबूर हैं;

(ख) क्या यह सही है कि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी ने अपने पत्रांक 519, दिनांक 16.11.13 द्वारा अंचल अधिकारी, बेनीपट्टी को करहरा पंचायत के हथिरबा गांव के पुल से डी.के.बी.एम. सड़क तक भूधारियों से एक सप्ताह में भूमि अर्जन हेतु पत्र में वर्णित खेसरा उपलब्ध कराने हेतु निर्देश भी दिया था परन्तु सड़क निर्माण के स्थान पर विभागीय स्तर पर पत्राचार ही अनुपालन में होता रहा और पंचायत सड़कविहीन ही रही;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हथिरवा गांव में सड़क निर्माण में अनियमितता करने वाले के ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए शीघ्र सड़क निर्माण कराना चाहती है?

यथाशीघ्र सड़क का निर्माण

9. **श्री बीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शेखपुरा जिला की कैथया पंचायत के कैथमा गांव जाने वाली सड़क अत्यन्त जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि शेखपुरा मेन रोड से कैथमा गांव की दूरी लगभग 2 कि.मी. है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पथ काफी महत्वपूर्ण है और मेन रोड से जुड़ा हुआ है, साथ ही कैथमा गांव की घनी आबादी वाला गांव है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित कैथमा गांव तक सड़क का निर्माण यथाशीघ्र कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क निर्माण

10. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दिनांक 05.04.2018 को प्रश्नकर्ता सदस्य ने माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को पत्र के द्वारा वैशाली जिले के पटेडी बेलसर प्रखंड के अन्तर्गत ग्राम जगदीशपुर तक भाया वाया नदी स्थित पुल होते हुए सड़क निर्माण के संबंध में अनुरोध किया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त अनुरोध पत्र के साथ ग्राम जगदीशपुर के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इस संबंध में हस्ताक्षर आवेदन पत्र भी संलग्न है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सार्वजनिक हित में क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

संपर्क सड़क का निर्माण

11. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जिला मुख्यालय आरा से करीब 30-35 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित ग्राम कोयल/टेडा/मुम्हैया/इटौरा/कुसुम्ही नउआ एवं रेपुरा की आम जनता पक्की सड़क के अभाव में पीरो-चरपोखरी तथा नगरी मुख्य सड़क मार्ग से अपने को पूर्णत: अलग-थलग या कटा हुआ महसूस कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि यहां के ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यह परेशानी खासकर बरसात के दिनों में असहनीय हो जाती है, मरीजों तथा प्रसव संबंधी महिलाओं को पहुंच पथ एवं ससमय चिकित्सा के अभाव में जान तक गंवानी पड़ती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थान पर संपर्क सड़क का निर्माण कराकर वहां के लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी को दूर करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नकली उर्वरक पर रोक

12. **श्री रामचन्द्र पूर्वे** : क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि कृषि रोड मैप के अनुसार कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उर्वरक एवं कीटनाशक की जांच के लिए वर्ष 2017 में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में रासायनिक उर्वरक के 4000 नमूने, अकार्बनिक उर्वरक के 760 नमूने एवं जैव उर्वरक के 830 नमूनों की जांच का लक्ष्य निर्धारित था;

(ख) क्या यह सही है कि 830 जैव उर्वरक की जांच के विरुद्ध मात्र 225 की जांच की गयी जिसमें 134 निर्धारित गुणवत्ता के विपरीत मिला, साथ ही रोहतास, भोजपुर, कैमूर, सारण और लखीसराय में शत-प्रतिशत नमूने मानक के अनुरूप नहीं थे;

(ग) क्या यह सही है कि रासायनिक उर्वरक में पटना में 33 में से 12 एवं रोहतास में 21 में से 17 खराब गुणवत्ता वाला पाया गया तथा कार्बनिक उर्वरक में 115 की गुणवत्ता मानक के विपरीत पाया गया;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नकली एवं गुणवत्ताविहीन उर्वरक तथा कीटनाशक की बिक्री एवं उपयोग पर रोक लगाने हेतु कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है?

स्पष्ट नीति

13. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी कोटि के शिक्षण संस्थानों तक सुगम यातायात हेतु पक्की सड़क बनाये जाने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे शिक्षा संस्थानों तक खासकर बरसात में छात्र-छात्राओं को आने-जाने में विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस हेतु भी एक स्पष्ट नीति बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्राथमिकता के आधार पर सड़क निर्माण

14. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल की पिपरोलिया पंचायत के वार्ड नं.-14, खड़ौओ गांव में दानी यादव मिल से कुम्हार टोली के भोला पंडित के घर तक सड़क नहीं रहने के कारण पिछड़ी एवं अति पिछड़ी आबादी को अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि सड़क के अभाव में एम्बुलेंस सहित अन्य गाड़ियों को जाने में बहुत तकलीफ होती है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सड़क की लम्बाई अधिक से अधिक 200 मीटर है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस सड़क का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराने का आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पेंशन की व्यवस्था

15. **श्री दिलीप राय, श्री दिलीप कुमार जायसवाल एवं श्री टुन जी पाण्डेय** : क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के तहत निर्वाचित सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था अबतक नहीं की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि अन्य तरह के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के लिए पेंशन की व्यवस्था है परन्तु पंचायती राज प्रणाली के तहत निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पंचायती राज प्रणाली के तहत निर्वाचित सभी तरह के जन प्रतिनिधियों के लिए उचित एवं सम्मानजनक पेंशन की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 23 जुलाई, 2018